



प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

अवस्थापना विकास अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 06.08.2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 825/यूपीडा/बजट/26-27 दिनांक 16.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कंसोसियम बैंकों से लिये गये ऋण पर दिनांक 01.07.2026 से 30.09.2026 तक की अवधि हेतु देय ब्याज के लिए रू० 9198.32132 लाख की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(धनराशि रू० लाख में)

कार्य का नाम	दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक अवधि हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज का भुगतान	9198.32132

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ० प्र० प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ० प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।

(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 91,98,32,132 (रुपये इक्यानबे करोड़ अठानबे लाख बत्तीस हजार एक सौ बत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808001500 यूपीडा द्वारा पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, अवस्थापना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. नोडल बजट एलाटमेंट सिस्टम।
12. गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव